संख्या-25/2020/327/71-2-20-के0जी0एम0यू0-64/2017

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 06 मार्च, 2020

विषयः-वित्तीय वर्ष 2019-20 में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ के ट्रामा सेन्टर में फायर स्टेयर के स्थान पर फायर रैम्प के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्रांक 269/71-2-2019-के0जी0एम0यू0-64/2017, दिनांक 05.03.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- शासनादेश संख्या 74/2018/1262/71-2-2018-के0जी0एम0यू0-64/2017, दिनांक 29.03.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में के0जी0एम0यू0 के ट्रामा सेन्टर में फायर स्टेयर के निर्माण प्रायोजना हेतु रू0 86.48 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि अवमुक्त किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 29.03.2018 द्वारा फायर स्केप स्टेयर के निर्माण प्रायोजना हेतु प्रदान की गयी धनराशि रू0 86.48 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति को निरस्त किया जाता है।

4- उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के फायर स्केप स्टेयर के स्थान पर फायर रैम्प के निर्माण प्रायोजना हेतु धनराशि रू0 442.47 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष उक्त शासनादेश दिनांक 29.03.218 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 86.48 लाख प्रश्नगत प्रायोजना में समायोजित करते हुए धनराशि रू0 134.755 लाख (अनुदान 31 से रू0 111.425 लाख एवं अनुदान 83 से रू0 23.33 लाख) (रू0 एक करोड चौतीस लाख पचहत्तर हजार पॉच सौ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने के राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1) प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु विट्रिफाइड टाइल्स के आधार पर आगणन का गठन किया गया है, जो उच्च विशिष्टियों के अंतर्गत है। **प्रश्नगत कार्य में उच्च विशिष्टियों हेतु विट्रिफाइड टाइल्स का उपयोग नहीं किया जायेगा।**

2) प्रश्नगत कार्य के लिए निर्विवाद रूप से नियमानुसार भूमि उपलब्ध होने के उपरांत ही कार्य प्रारम्भ किए जाएंगे।

3) स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार आहरण किया जायेगा। धनराशि आहरित कर किसी बैंक/डाकघर /पी0एल0ए0 इत्यादि में नहीं रखा जायेगा।

4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किये जाने के दृष्टिगत मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ कुलपति/कुलसचिव का होगा।

5) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के कुलसचिव/कुलपति की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6) नियमानुसार समस्त आवश्यक अनापत्तियॉ यथा वैधानिक अनापत्तियॉ, फायर एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स इत्यादि सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
7) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।
8) प्रयोजनान्तर्गत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों में उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढाना, प्रस्तावित कार्यो के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि इत्यादि शासन/मूल्यांकन समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा, अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
9) प्रश्नगत प्रायोजना के लागत में परिवर्तन सहित अन्य दिशा-निर्देशों के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 मे उल्लिखित प्राविधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10) विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलसचिव द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
11) प्रश्नगत प्रायोजना हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा, अपितु कार्य की आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
12) विश्वविद्यालय/कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना का कार्य अनुमोदित लागत में ही यथाशीघ्र गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
13) स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजना के लिये नहीं किया जायेगा तथा व्यय, स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
14) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
15) कुलपति/कुलसचिव द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) नहीं हो रही है। इसे रोकने की दृष्टि से प्रायोजनान्तर्गत किसी भी निर्माण कार्य से पूर्व कुलपति/कुलसचिव द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
16) कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज देय होगा। आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
17) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु दी जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।
18) प्रायोजना के संबंध में सुसंगत वित्तीय नियमों व अन्य नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

6- प्रश्नगत प्रायोजना हेतु अवमुक्त धनराशि रू0 111.425 लाख चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-06-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

7- प्रश्नगत प्रायोजना हेतु अवमुक्त धनराशि रू0 23.33 लाख चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक "4210-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-31-के0जी0एम0यू0, लखनऊ-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-25/2020/327(1)/71-2-20-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2) मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
3) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4) वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4
6) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
7) प्रबन्ध निदेशक/ परियोजना प्रबन्धक यूनिट-10, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, लखनऊ ।
8) प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन।
9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।